भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता का न्यायालय, जगन्नाथपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :– 08 / 2016–17

श्री बबलू गोप एवं अन्य 1 (एक)

बनाम

केरला वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट एवं अन्य 1 (एक)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

दिनांक 09.03.2017 को बबलू गोप पिता स्व॰ मंगडू गौड़ एवं सुदर्शन गोप पिता स्व॰ बनमाली गोप, टोन्टोपोसी, कोटगढ़, थाना नोवामुण्डी के रहने वाले है, का एक संयुक्त आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 58 / 2015–16 में वर्णित भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के न्यायादेश के विरूद्ध अपील की गई थी। भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	प्लॉट नं॰	रकवा
टोन्टोपोसी	739	52	1403	0.70 एकड़

इस वाद में द्वितीय पक्ष मेसर्स केरला वेलफेयर एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव राजमोहन , पिता धरन पिलाई, सा॰ चम्पुवा जिला क्योंझर एवं गोपीनाथ गौड़, पिता चिन्ता गौड़ सा॰ टोन्टोपोसी, कोटगढ़ थाना नोवामुण्डी को बनाये जाने का आग्रह किया गया था।

अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा नामान्तरण न्यायादेश 01.02.2016 को पारित किया गया था तथा यह अपील न्यायादेश के एक साल से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात् किया गया था जो कि कालवाधित समयावधि से प्रभावित थी। इस संबंध में अपीलार्थी ने अपना पक्ष रखते हुए बतलाया कि तबियत खराब रहने एवं अनभिज्ञता के कारण ससमय अपील दायर नहीं की जा सकी थी। अपीलार्थी के द्वारा बीमारी संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र की सच्ची प्रति प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

इस पर सुनवाई करते हुए भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता जगन्नाथपुर के द्वारा दिनांक 18.03.2017 को अपील स्वीकृत किया गया।

वादी ने अंचल अधिकारी के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 58/2015–16 में दिये गये न्यायादेश के विरूद्ध अपील करते हुए प्रतिवेदित किया है कि :–

1. अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा पारित न्यायादेश कानून एवं तथ्यों के आधार पर बनाये रखने योग्य नहीं है।
2. तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नामान्तरण वाद में वर्णित भूमि का नामान्तरण प्रथम पक्ष को नहीं किया जाना चाहिए था।
3. अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा भू–स्वामित्व संबंधि संवीक्षा जो इस वाद से संबंधित भूमि की थी, नहीं की जा सकी।
4. अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा इस बात को नजर अंदाज किया गया कि इस वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा चिन्ता गौड़, शत्रुधन गौड़, मंगडू गौड़ तथा बनमाली गौड़ का सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा है।
5. पैतृक सम्पत्ति में सभी हिस्सेदारों का समान हक एवं दखल होता है और ऐसे भी द्वितीय पक्ष को बिना हिस्सेदारों की सहमति के भूमि के किसी भी भू–भाग को बिक्री करने का अधिकार नहीं है।
6. इस वाद को निम्न न्यायालय में छुपाया गया तथा निम्न न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा छल किया गया।
7. इस वाद में अपीलार्थी को कोई तलबी (नोटिस) नहीं दिया गया है। इसका पता अपीलार्थी को तब चला जब प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा प्लॉट नं॰ 1403 के हिस्से को दखल करने का प्रयास किया गया एवं नामान्तरण संबंधी कागजात दिखलाया गया, तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अंचल कार्यालय नोवामुण्डी में दिया गया, परंतु अब तक अप्राप्त है।
8. प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा नामान्तरण वाद दायर किये जाने संबंधी जानकारी निम्न न्यायालय के द्वारा न तो ग्राम के मुण्डा को दी गई और न हीं उनसे कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
9. इस प्रकार अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा पारित यह नामान्तरण न्यायादेश न्याय एवं सत्य के हिसाब से त्रुटिपूर्ण है। अतएव निम्न न्यायालय के न्यायादेश को अपास्त (रद्द) किया जाना चाहिए।

इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवेदति किया गया है कि :–

1. यह वाद कालवाधित है, अतएव इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
2. अपीलार्थी को इस नामान्तरण वाद के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त थी।
3. अपीलार्थी का न तो इस भूखण्ड पर कोई अधिकार है और न हीं इस पर इनका कोई दखल है।
4. अपीलार्थी के आवेदन को कालवाधित मानते हुए U/S-5 of the Limitation Act के मद्देनजर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इस वाद से संबंधित अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी का प्रतिवदेन अवलोकन किया गया, इसमें वर्णित है :–

1. वर्णित भूमि मौजा टोन्टोपोसी, थाना नं॰ 739, खाता नं॰ 52, प्लॉट नं॰ 1403 रकवा 1.41 एकड़ भूमि हाल सर्वे खतियान में चिन्ता गौड़, पिता भगवतिया गौड़ तथा बनमाली गौड़ पिता बेहरा गौड़ एवं अंश निवासी निज समान दर्ज है।
2. शत्रुधन गौड़ पिता दयानिधि का अंश निर्वंश हो जाने के कारण गोपीनाथ गौड़ पिता स्व॰ चिन्ता गौड़ तथा बेहरा गौड़ ग्राम टोन्टोपोसी को उक्त भूमि का आधा–आधा हिस्सा में 0.70½ एकड हिस्सा में आता है।
3. चिन्ता गौड़ के पुत्र गोपीनाथ गौड़ अपने हिस्से का दखल कब्जा जमीन 0.70 एकड़ भूमि मेसर्स केरला वेलफेयर एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राजमोहन पी॰ एस॰, सा॰ चम्पुवा जिला क्योंझर उडिसा को बिक्री किया है।
4. मेसर्स वेलफेयर एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट को बिक्री किया गया जमीन क्रेता के द्वारा अपने दखल कब्जा में चाहरदिवारी निर्माण कर लिया गया है।
5. विक्रेता द्वारा बिक्री की गई भूमि वैध है।

वादी तथा प्रतिवादी के द्वारा दायर किये गये प्रतिवेदनों, कागजातों अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अणिकारी के प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् मै इस निर्णय पर पहुचती हूँ की :–

1. वर्णित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। तथा विक्रेता एवं वादी एक हीं वंशज के है।
2. वादी–प्रतिवादी तथा अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा भूमि के बटवारे के संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया।
3. अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी ने अपने स्वयं के आधार पर बटबारा मान लिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
4. अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मेसर्स वेलफेयर एवड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा इसे अपने दखल में लेकर चाहरदिवारी का निर्माण करा लिया गया है।
5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिवील अपील संख्या 4731–4732 of 2010 T.Ravi & ANR vs B. Chinna Narasimha के कण्डिका 87 में स्पष्ट किया गया है कि The Mutation is only for the fical purpose and is not decisive of right, title or intrest in the property which is within the domin of the civil court'
6- माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ds WP(c) No. 6158 of 2014 वीरेन्द्र प्रसाद vs State of Jharkhand & Others के न्यायादेश के कण्डिका 4 में स्पष्ट किया है कि " It is well settled that mutation dose not confer any title rather it only relates of the possession"
7. उभय पक्षों के दस्तावेजों, संलग्न कागजातों एवं पक्षों को देखने पर

यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का इस भूमि पर कब्जा है।

8. भूस्वामित्व तथा Partition सूट के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार इस न्यायालय में सम्माहित नहीं है।
9. अपीलार्थी चाहें तो भूमि स्वामित्व, बटबारा संबंधित दावा हेतु सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते है।
10. अतः अपीलार्थी का अपील निरस्त की जाती है, तद्नुसार वाद की कार्यवार्ही समाप्त की जाती है।

(लेखापित)

21/1/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
–सह– अनुमण्ड़ल पदाधिकारी,
जगन्नाथपुर।

21/1/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
–सह– अनुमण्ड़ल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।

ज्ञापांक :–02 /न्या., दिनांक :–21.01.2019

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
–सह– अनुमण्ड़ल पदाधिकारी
जगन्नाथपुर।